

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/207201/ALG/ALIGARH/3712/CFO

दिनांक: 06-07-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **IQRA PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **228 229 NEW IQRA COLONY, QUARSI BYE PASS ROAD, ALIGARH** तहसील - **KOIL** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
IQRA PUBLIC SCHOOL	3	0	11.10 mt.
0	0	0	0 mt.

तथा प्लॉट एरिया **22209.53 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **IQRA PUBLIC SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **21-07-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **Naseem Ahmad Khan 9411212431 iqra.aligarh@gmail.com** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **22-07-2026** से **21-07-2031** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : Fssotालानगरी के संस्तुति पर पूर्वनिर्गतnoc128/cfo dt11.3.22व BSAके पत्र6316-17/26-27dt13.7.26के अनुक्रम में मानचित्र में इंगित स्कूल भवनupF&E act2022वupF&E rules2024काअनुपालन करने व 06माह में झिल करने की शर्तों केअधीन renewal nocनिर्गत किया जा रहा है जिसमें अहरअभिकर्ता से प्रत्येक जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापितFSव्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाणपत्र विभाग को प्रेषित करे2विद्युत सुरक्षा निदेशालय का सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करनाअनिवार्य होगा3भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन रखना होगा उक्त शर्तों का उल्लंघन करने/अधिभोग/संरचना में बदलाव करने/समय से नवीनीकरण कराने/न्यायिक विवाद होने /Fire safetyअकार्यशील पाये जाने पर उक्तnocको स्वतःनिरस्त माना जायेगा

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Mukesh Kumar)

[85DF6BE0BEC05EC150FCC5B7FD591D0AD712110A]

22-07-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 22-07-2026

स्थान : ALIGARH